कार्यालय लोक सूचना अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर हनुमानगढ

प्रकरण संख्या 14/2018 सूचना के अधिकार के अन्तर्गत

श्री तजिन्द्र सिंह पुत्र श्री काबल सिंह निवासी वार्ड सं0 10, तलवाडा झील तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

––अपीलार्थी

बनाम

उपखण्ड अधिकारी संगरिया

––प्रत्यार्थी

आदेश दिनांकः–12.04.2018

यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत उपखण्ड अधिकारी संगरिया के विरूद्ध प्राप्त हुई।

अपीलार्थी स्वयं उपस्थित। उपखण्ड अधिकारी संगरिया से पत्र कमांक 122 दिनांक 11.04.2018 द्वारा जबाव प्राप्त हुआ जिसकी प्रतिलिपि अपीलार्थी को प्रेषित किया जाना पाया गया।

अपीलार्थी को सुना गया। अपीलार्थी ने बताया कि उपखण्ड अधिकारी संगरिया से पत्रावली संख्या 432/86 करनैल सिंह बनाम बीरसा सिंह के संबंध में तथास्थिति की रिपोर्ट चाही गई। उपखण्ड अधिकारी संगरिया द्वारा पत्रावली संख्या गुरदयाल सिंह बनाम बिरसा सिंह मु0 नं0 165/92, 170/92 की गलत सूचना दी गई है। उपखण्ड अधिकारी संगरिया से पत्रावली संख्या 432/86 करनैल सिंह बनाम बिरसा सिंह के संबंध में सूचना उपलब्ध करवाये जाने के आदेश फरमाये जावे।

अपीलार्थी के कथनो पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। उपखण्ड अधिकारी संगरिया के पत्र कमांक 122 दिनांक 11.04.2018 का अवलोकन करने से पाया गया है कि उनके द्वारा वांछित पत्रावली तलाश करवाई जा रही है। प्राप्त होते ही इसकी सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध करवा दी जावेगी। अतः ऐसी स्थिति में उपखण्ड अधिकारी संगरिया को निर्देश दिये जाते है कि वे संबंधित सीगेदार को निर्देश दिये जावे कि वांछित पत्रावली दिनांक 23.04.2018 से 24.04.2018 तक (दो दिन में) तलाश कर सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत इसकी सूचना नियमानुसार अपीलार्थी को उपलब्ध करवाई जावे। अपीलार्थी की वर्तमान अपील उक्तानुसार निर्णित की जाती है। आदेश की प्रति दोनो पक्षो को भेजी जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफतर की जावे।

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
एवं जिला कलक्टर
हनुमानगढ